

—: परिपत्र :-

विषय:- समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा भरने के सम्बन्ध में ।

कार्मिक(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ)विभाग, राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांक:प.13(76)कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक 6-जनवरी-2020 के द्वारा आदेशित किया गया है कि समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रतिवर्ष 1 जनवरी की स्थिति में अपना अचल सम्पत्ति विवरण 31 जनवरी तक भरे जाने का प्रावधान है । (कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है ) ।

अतः समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीन कार्यरत समस्त राजपत्रित अधिकारियों( तहसीलदार /सहायक राजस्व लेखाधिकारी व अन्य ) को अपना अचल सम्पत्ति विवरण 1 जनवरी 2020 की स्थिति में उक्त परिपत्र में दिए गए निर्देशानुसार स्वयं की SSO-ID से लॉग इन कर राजकाज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑनलाईन स्वयं द्वारा 31 जनवरी तक भरने की पालना अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करावें ।

- 1- टंकित/हस्तलिखित सम्पत्ति विवरण स्वीकार योग्य नहीं हैं ।
- 2- अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जाने की स्थिति में पदोन्नति/वार्षिक वेतन वृद्धि विचार योग्य नहीं होगी ।
- 3- 31 जनवरी के बाद IPR MODULE पर अचल सम्पत्ति विवरण नहीं भरे जायेंगे ।
- 4- ऑनलाईन विवरणी दाखिल करने हेतु संदर्भित परिपत्र के निर्देश /कठिनाई के निराकरण हेतु प्रपत्र में अंकित आई टी अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है । (परिपत्र कार्मिक विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है )

(विनीता श्रीवास्तव)

निबन्धक

राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर ।

क्रमांक:समसंख्यक/1000-1095

दिनांक:- 17-1-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- निजी सचिव,माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ।
- 2- संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-1/गो.प्र.) विभाग, /राजस्व(गुप-1)विभाग, राजस्थान, जयपुर
- 3- निजी सचिव,निबन्धक महोदय,राजस्व मण्डल राजस्थान,अजमेर
- 4- निदेशक,स्वायत्त शासन विभाग,राजस्थान-जयपुर
- 5- महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर ।
- 6- संभागीय आयुक्त समस्त/जिला कलक्टर समस्त/
- 7- निदेशक,राज.राज्य आसूचना निदेशालय जयपुर
- 8- आयुक्त, भू प्रबन्ध विभाग, राजस्थान, जयपुर / आयुक्त उपनिवेशन विभाग, बीकानेर ।
- 9- निदेशक, राजस्व अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर ।/प्रधानाचार्य,एपीआरटी, टोंक ।
- 10-प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर /आयुक्त देवस्थान विभाग, राजस्थान, उदयपुर ।
- 11-रजिस्ट्रार, भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन प्राधिकरण, योजना भवन, जयपुर ।
- 12-अध्यक्ष एवं एमडी,राजस्थान विद्युत वितरण निगम लि0 ज्योति नगर, जयपुर ।
- 13-मुख्य प्रबंधक,बीपीसीएल, कोटा-जोबनेर पाईप लाईन, कोटा /एम.डी. गेल इण्डिया लि0,जयपुर ।
- 14-आयुक्त, सी0ए0डी0 चम्बल, कोटा
- 15-मुख्य कार्यकारी अधिकारी,नगर निगम, जयपुर/अजमेर/जोधपुर/बीकानेर/कोटा/उदयपुर
- 16-प्रबन्ध निदेशक, रीको लि0 जयपुर ।
- 17-मुख्य प्रबंधक,स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल उदयपुर/ जिप्सम नागौर
- 18-अधीक्षण अभियन्ता,नर्मदा सिंचाई परियोजना वृत्त जालौर
- 19-सचिव, विकास प्राधिकरण, जयपुर/अजमेर/कोटा /सचिव, राज0आवासन मण्डल, जयपुर ।
- 20-सचिव,नगरसुधारन्यास,अलवर/भीलवाडा/बीकानेर/गंगानगर/कोटा/उदयपुर/भिवाडी /चित्तौडगढ
- 21-मुख्य अभियन्ता, सार्व0निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर /मुख्य अभियन्ता,ई.गा.न.प. बीकानेर ।
- 22-अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त,अजमेर/नागौर/भरतपुर/बीकानेर/गंगानगर/जयपुर/सीकर/कोटा जोधपुर/सवाईमाधोपुर/उदयपुर ।
- 23-अतिरिक्त निबन्धक, वित्त एवं लेखा , राजस्व मण्डल, अजमेर ।
- 24-संयुक्त निदेशक(कम्प्यूटर)राजस्व मण्डल अजमेर को मण्डल की वेबसाइट पर अपलोड एवं संबंधित समस्त विभागों को ई-मेल करने बाबत ।
- 24- गार्ड फाइल ।

उप निबन्धक(गोपनीय)  
राजस्व मण्डल राजस्थान  
अजमेर ।